न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 48/2012
दायर दिनांकः 21.09.2012
निर्णय दिनांक 24.02.2025

—: अनवान :—

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, राजमसन्द — **प्रार्थी**

बनाम

1.श्री शंकर पिता मगना माली निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द के बजाय विधिक वारिसान

1/1. श्री रामेश्वरलाल पिता शंकर माली निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द

1/2. श्री जमनालाल पिता शंकर माली निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द

— **अप्रार्थी**

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता।
2– श्री सम्पतलाल लड्ढा, अधिवक्ता अप्रार्थी।

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार राजसमन्द ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राजनगर तहसील राजसमन्द में स्थित खसरा नम्बर 1287/1 रकबा 3–11 बीघा व खसरा नम्बर 1288/1 रकबा 1–05 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कुल किता –2 कुल रकबा 4–16 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी हक से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2021 अनुसार

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 1082/2 रकबा 6–12 बीघा किस्म नदी दर्ज थी। मेवाड सेटलमेंट की खसरा महकमा बन्दोबस्त संवत् 1984 में मूल खसरा नम्बर 1082 रकबा 37–07 बीघा किस्म नदी दर्ज थी। उक्त खसरा नम्बर 1082 रकबा 37–07 बीघा में से 6–12 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी श्री शंकर पिता मगना माली निवासी राजनगर को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन जरिये मिसल नम्बर 372/63 से की गयी, जो जरिये नामान्तरण संख्या 424 से नवीन खसरा नम्बर 1082/2 रकबा 6–12 बीघा के रूप में श्री शंकर पिता मगना माली के नाम दर्ज की गयी। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत् 2021 अनुसार उक्त भूमि के वक्त सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 1287 रकबा 5–00 बीघा किस्म बारानी II व खसरा नम्बर 1288 रकबा 2–10 बीघा किस्म बारानी II दर्ज हुए। जो उत्तराधिकार/ विक्रय से वर्तमान में खसरा नम्बर 1287/1 रकबा 3–11 बीघा व खसरा नम्बर 1288/1 रकबा 1–05 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कुल किता –2 कुल रकबा 4–16 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2021 अनुसार अप्रार्थीगण के नाम अंकित उक्त भूमि के गत सेटलमेंट में खसरा नम्बर 1082/2 था जिसका मेवाड सेटलमेंट के खसरा महकमा बन्दोबस्त संवत् 1984 में मूल खसरा नम्बर 1082 रकबा 37–07 बीघा किस्म नदी दर्ज थी। मूलतः उक्त भूमि की किस्म नदी अंकित थी एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि आवंटन/नियमन में प्रतिबन्धित होने से इसमें खातेदारी अधिकार देय नहीं है। उक्त भूमि का कानूनन आवंटन/ नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर पुनः बिलानाम सरकार किस्म नदी अंकित की जानी है। D.B.Civil Writ Petition No. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 के अनुसार भी ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने के निर्देश हैं। अतः ग्राम राजनगर के वर्तमान खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1287/1 रकबा 3–11 बीघा व खसरा नम्बर 1288/1 रकबा 1–05 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम से निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम सरकार किस्म नदी दर्ज करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत को दर्ज कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पत लाल लड्ढा ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा किन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बार–बार अवसर लेने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम राजनगर तहसील राजसमन्द में स्थित खसरा नम्बर 1287/1 रकबा 3–11 बीघा व खसरा नम्बर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

1288/1 रकबा 1–05 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कुल किता – 2 कुल रकबा 4–16 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2021 अनुसार अप्रार्थीगण के नाम अंकित उक्त भूमि के गत सेटलमेंट में खसरा नम्बर 1082/2 था जिसका मेवाड सेटलमेंट के खसरा महकमा बन्दोबस्त संवत् 1984 में मूल खसरा नम्बर 1082 रकबा 37–07 बीघा किस्म नदी दर्ज थी। मूलतः उक्त भूमि की किस्म नदी अंकित थी एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि आवंटन/नियमन में प्रतिबन्धित होने से इसमें खातेदारी अधिकार देय नहीं है। उक्त भूमि का कानूनन आवंटन/ नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर पुनः बिलानाम सरकार किस्म नदी अंकित की जानी है। D.B.Civil Writ Petition No. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 के अनुसार भी ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने के निर्देश हैं। अतः ग्राम राजनगर के वर्तमान खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1287/1 रकबा 3–11 बीघा व खसरा नम्बर 1288/1 रकबा 1–05 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम से निरस्त कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी दर्ज करवायी जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को मामला प्रेषित करने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अब्दुल रहमान बनाम सरकार के प्रकरण संख्या 1536/2003 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.08.2004 के आधार पर प्रस्तुत किया है। जो मेन्टेनेबल नहीं है क्योंकि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित यह अंतरिम आदेश दावा दायरी तारीख को प्रभावी नहीं था। इस रिट पिटीशन में अंतिम आदेश पारित हो चुका है, जिसमें अंतरिम आदेश मूल में समाहित हो जाता है। एवं फाईनल ऑर्डर में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया कि सन् 1947 की स्थिति बहाल करनी हो। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 82 की कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क इस मामले में प्रभावशील नहीं है। क्योंकि यह रेफरेंस कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में राजस्व स्वामित्व के नदी, नालों, तालाबों, झीलों आदि की दिनांक 15.08.1947 की स्थिति को बहाल किये जाने को लेकर है। ग्राम राजनगर तहसील राजसमन्द में स्थित खसरा नम्बर 1287/1 रकबा 3–11 बीघा व खसरा नम्बर 1288/1 रकबा 1–05 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कुल किता –2 कुल रकबा 4–16 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक संवत 2021 अनुसार अप्रार्थीगण के नाम अंकित उक्त भूमि के गत सेटलमेंट में खसरा नम्बर 1082/2 था जिसका मेवाड सेटलमेंट के खसरा महकमा बन्दोबस्त संवत् 1984 में मूल खसरा नम्बर 1082 रकबा 37–07 बीघा किस्म

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नदी दर्ज थी। रेकार्ड से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नदी भूमि है, जिस पर गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अप्रार्थी कानूनन् अधिकारिता नहीं रखती है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों नदी,नाला,नाली आदि के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। अतः ऐसी प्रतिबन्धित भूमियों पर दर्ज निजी खातेदारी कानूनन् निरस्त किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम राजनगर तहसील राजसमन्द के खसरा नम्बर 1287/1 रकबा 3–11 बीघा व खसरा नम्बर 1288/1 रकबा 1–05 बीघा किस्म बारानी ।। अप्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से हटाकर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म नदी राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की दुरुस्ती के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद